मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

उच्च शिक्षा विभाग | दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
122	तारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्र.1619) दि. 08-03-2018 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	(1) कलेक्टर, इंदौर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर छात्रवृत्ति में त्रुटिकर्ता संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाना। (2) बड़वानी जिले की सेंधवा और निवाली की संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति वितरण में की गई जांच के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) वर्ष 2015 में कलेक्टर, इंदौर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2011 से 3 वर्ष की छात्रवृत्ति का ऑडिट और त्रुटिकर्ता संस्थाओं पर विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। (2) बड़वानी जिले की सेंधवा और निवाली की संस्थाओं की कक्षा 8 से 12 की छात्रवृत्ति वितरण की जांच की गई थी वह पूर्ण होकर उसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।		
123	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्र.438) दि. 08-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के ग्राम ढोढ़र में शासकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक बी. 3570 की शीघ्र स्वीकृति दी जाना।	स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		
124	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.69 (प्रश्न क्र.1451) दि. 08-03-2018 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	जिला आगर-मालवा के वि.स. क्षेत्र सुसनेर अंतर्गत शास. महाविद्यालय सुसनेर में कम्प्यूटर साईंस एवं स्नातकोत्तर कक्षायें एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ करने के साथ ही सोयतकलां में नवीन महाविद्यालय खोला जाना।	जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
125	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.81 (प्रश्न क्र.1620) दि. 08-03-2018 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	आदिम जाति कल्याण विभाग के श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर संचालक द्वारा की गई पी.एच.डी. की जांच एवं कार्यवाही।	अपर संचालक (श्री सुरेन्द्र सिंह भण्डारी) द्वारा की गई पीएचडी पर संस्थित जांच अपर संचालक प्रशासन उच्च शिक्षा भोपाल द्वारा की जा रही है, जो कि प्रक्रियाधीन है।		
126	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्र.1651) दि. 08-03-2018 (श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा)	देवास जिले की विधान सभा क्षेत्र सोनकच्छ अन्तर्गत नगर टोंकखुर्द में शासकीय महाविद्यालय का शेष निर्माण कार्य एवं विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
127	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.2174) दि. 08-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा वि.स. क्षेत्र अंतर्गत नगर पिपलौद में महाविद्यालय प्रारंभ कराया जाना।	नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
128	अतारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.112) दि. 08-03-2018 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के शास. श्याम सुंदर महाविद्यालय सिहोरा में नवनिर्मित कन्या छात्रावास में कर्मचारियों की पदस्थापना की जाना एवं छात्रावास की बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य कराया जाना।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
129	अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.1952) दि. 08-03-2018 (श्री नारायण सिंह पँवार)	शास. महाविद्यालय ब्यावरा में छात्र-छात्राओं के लिये सेमीनार हॉल तथा अध्यापन कक्ष का निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाना।	प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
130	अतारांकित प्रश्न सं.105 (प्रश्न क्रं.2025) दि. 08-03-2018 (श्री रामपाल सिंह)	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मैहर जिला सतना के प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच शासनादेश निर्धारित समय-सीमा में कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	अतिरिक्त संचालक रीवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में संलग्न अनुविभागीय अधिकारी सतना द्वारा कलेक्टर सतना को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रचार्य के विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लेकर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
131	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.129 (प्रश्न क्रं.2175) दि. 08-03-2018 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर स्थित रेल्वे स्टेशन के समीप ए.के.व्ही.एन उज्जैन द्वारा बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र विकास की योजना को प्रारंभ किया जाना।	चयनित कन्सलटेंट मेसर्स वाप्कोस लि. को दिनांक 25.10.2017 को डी.पी.आर. तैयार करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया है। माह मार्च 2018 तक डी.पी.आर. बनाने का कार्य पूर्ण होना संभावित है। तदोपरांत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.947) दि. 08-03-2018 (श्री गिरीश गौतम)	रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अन्तर्गत सड़क मार्ग से इलाहबाद (उ0प्र0) जाने वाले वाहनों की समय-समय पर बिना किसी सूचना के चैकिंग कराये जाने की कार्यवाही की जाना।	जैसी माननीय सदस्य की इच्छा है उस प्रकार से कार्य हो जाएगा।		
133	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.33 (प्रश्न क्रं.537) दि. 08-03-2018 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	श्री मुरली कंस्ट्रक्शन 27 ज्योति नगर काटीपुरा ग्वालियर को खमरौली-ए की खसरा न0 825 रकबा 15.800 हेक्टेयर स्वीकृत रेत खादान क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध रूप से रेत का उत्खनन किये जाने की मुख्य सचिव कार्यालय में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
134	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.1113) दि. 08-03-2018 (श्रीमती ममता मीना)	जिला में पदस्थ खेल प्रशिक्षकों (संविदा) द्वारा निजी महाविद्यालयों में नौकरी की जाने की जांच करायी जाकर जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, गुना एवं कलेक्टर गुना द्वारा पृथक-पृथक की गई थी, जो आपस में विरोधाभासी होने के कारण कलेक्टर गुना को संचालनालयीन पत्र क्रमांक 10913 दिनांक 19.02.2018 द्वारा विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है, जो अपेक्षित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

गृह विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
135	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.149) दि. 08-03-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाना।	हम अभी इसी सत्र में मीटिंग बुला लेंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
136	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.150) दि. 08-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	(1) जिला श्योपुर के विजयपुर विधान सभा क्षेत्र के सिंचाई योजना चेंटीखेड़ा बांध एवं लोंडी बांध की स्वीकृति दी जाना। (2) डोकरका तालाब, ग्राम झिरन्या के पास अहेली तथा कूनो नदी पर स्टॉपडेम बनाये जाने हेतु सर्वे शीघ्र कराकर डी.पी.आर. स्वीकृत की जाना। (3) मुजरी बांध की तैयार डी.पी.आर. की स्वीकृति दी जाना।	(1) मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि मेरे विभाग का बजट आने वाला है उसमें हो जाएगा थोड़ा-सा धैर्य रखें। (2) डीपीआर तो सर्वे के बाद ही जारी होगी ना, वह जारी हो जाएगी। (3) करवाएंगे। (4) अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही कर देंगे।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग | दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
137	तारांकित प्रश्न सं.5 (प्रश्न क्रं.1510) दि. 08-03-2018 (श्री कुँवरजी कोठार)	नगर परिषद पचोर में पदस्थ श्री सी.एल. चौरे, उपयंत्री द्वारा की गई अनियमितता की जांच करायी जाना।	(1) आपने जो उपयंत्री के बारे में सवाल पूछा है कि उसके खिलाफ लोकायुक्त प्रकरण है तो उसे तत्काल निलंबित किया जाता है। (2) हम जांच करवा लेंगे।		
138	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.1444) दि. 08-03-2018 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	नगर परिषद नलखेड़ा जिला आगर में अवैध रूप से 02 सालों से संचालित दुकानों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	जांच को एक महीने के अंदर पूरा करवा लेंगे. उसमें जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।		
139	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.24 (प्रश्न क्रं.364) दि. 08-03-2018 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शासकीय भूमि पर लंबे समय से काबिजों शासनादेशानुसार चिन्हित हितग्राहियों को आवसीय भूमि का पट्टा दिया जाना।	एक माह में कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।		
140	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.366) दि. 08-03-2018 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर स्थित लाखा बंजारा झील को प्रदूषण मुक्त कराये जाने हेतु नगर निगम सागर से प्राप्त प्रतिवेदन का शीघ्र परीक्षण कर झील को प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जाना।	प्रतिवेदन परीक्षणाधीन है।		
141	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.41 (प्रश्न क्रं.764) दि. 08-03-2018 (श्री अजय सिंह)	नगर पालिक निगम सतना की सीमा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पालिक निगम सतना एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सतना में स्वीकृत अभिन्यास/नक्शे के विरूद्ध कालोनी निर्माण किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रश्नांश में उल्लेखित तथ्यों की विधिवत जांच कराई जाकर जांच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
142	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.53 (प्रश्न क्रं.1142) दि. 08-03-2018 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया)	मंदसौर नगर में म.प्र. गृह निर्माण मंडल की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जाधारी श्री विजय कुमार शर्मा से बकाया राशि की वसूली की जाना।	श्री विजय कुमार शर्मा को बकाया राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं।		
143	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.1392) दि. 08-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा शहर में सीवर लाईन के कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिक की अचानक मिट्टी धसकने के कारण आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर श्रमिक निकटतम परिजन को आर्थिक सहायता दी जाना।	शासन स्तर पर रू. 4.00 लाख (चार लाख रूपये) की सहायता राशि जारी किया जाना प्रक्रियाधीन है।		
144	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.101 (प्रश्न क्रं.1824) दि. 08-03-2018 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिन्दवाड़ा जिले के नगर पालिका परासिया में की गई अनियमितताओं की जांच प्रतिवेदन का शीघ्र परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उत्तरांश (क) अनुसार जांच प्रतिवेदन वर्तमान में परीक्षणाधीन है।		
145	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.157 (प्रश्न क्रं.2489) दि. 08-03-2018 (श्री आरिफ अकील)	नगर पालिक निगम भोपाल की आयुक्त द्वारा माह अगस्त 2017 में डीजल टेंक का औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई आर्थिक अनियमितता के संबंध में संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की विभागीय जांच प्रचलित है।		
146	अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.348) दि. 08-03-2018 (श्री निशंक कुमार जैन)	नगर पालिका परिषद, गंजबासौदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को भूमि स्वामित्व का लाभ दिया जाना।	शेष हितग्राहियों के भूमि स्वामित्व का परीक्षण किया जा रहा है, कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा।		
147	अतारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.747) दि. 08-03-2018 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	नगर निगम मुरैना के वार्ड क्रमांक 46 स्थित पार्क में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जाना।	नगर निगम द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जावेगा।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
148	अतारांकित प्रश्न सं.60 (प्रश्न क्रं.1326) दि. 08-03-2018 (श्री विजय सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले की ग्राम पंचायत बिस्टान एवं ग्राम पंचायत धूलकोट को नगर परिषद का दर्जा दिया जाना ।	(1) ग्राम पंचायत बिस्टान को नगर परिषद का दर्जा दिये जाने हेतु कलेक्टर खरगौन के पत्र क्रमांक 4037/17 दिनांक 12.01.2018 से राजपत्र में प्रथम प्रकाशन हेतु अधिसूचना का हिन्दी/अंग्रेजी प्रारूप प्राप्त हुआ है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रचलन में है । (2) कलेक्टर खरगौन से ग्राम पंचायत धूलकोट को नगर परिषद का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।		
149	अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.1830) दि. 08-03-2018 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत नगर परिषद बिछुआ के नगर परिषद के अध्यक्ष द्वारा की अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही तथा प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार अध्यक्ष के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित है । (2) प्रकरण में दोषी पाये गये तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री कामता प्रसाद बघेल, श्री लेखराम सूर्यवंशी एवं श्री आर.के. सोनी के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है ।		
150	अतारांकित प्रश्न सं.107 (प्रश्न क्रं.2040) दि. 08-03-2018 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले की महाराजपुर वि.स. क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका महाराजपुर में भवन निर्माण का गुणवत्ताहीन किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर छतरपुर के लिखे पत्र के संदर्भ में कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जांच कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में जांच प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
151	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.654) दि. 08-03-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल)	ग्रामीण क्षेत्रों की शास. शालाओं में कार्यरत स्व.सहायता समूहों में कार्यरत रसोईयों का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में केन्द्र शासन को पत्र लिखा जाना एवं मा. मंत्री द्वारा दिल्ली जाकर प्रभावी पहल करना।	(1) आज ही पत्र भेज देंगे। (2) पूर्व में मैं स्वयं गया था और सत्र की समाप्ति की बाद मैं फिर से चला जाऊँगा।		
152	तारांकित प्रश्न सं.6 (प्रश्न क्रं.1405) दि. 08-03-2018 (श्री प्रताप सिंह)	जिला दमोह के जबेरा वि.स. क्षेत्र अंतर्गत मनरेगा योजना के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाना।	जैसा आप बता रहे हैं कि दस हजार लोगों को मजदूरी नहीं मिली है, तो हम इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके शीघ्र भुगतान करवा देंगे।		
153	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.2427) दि. 08-03-2018 (श्री हरदीप सिंह डंग)	प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सीधी जिले की चुरहट विधान सभा क्षेत्र एवं सतना जिले की अमर पाटन विधान सभा क्षेत्र सहित समूचे प्रदेश में आवास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त जारी नहीं किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	(1) माननीय नेता प्रतिपक्ष जैसा कह रहे हैं, आज वह बता दें कि कहां-कहां पर ऐसा हो रहा है हम आज ही अधिकारी को भेजकर के जांच करा लेंगे। (2) मैं दिखवा लूंगा।		
154	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.232) दि. 08-03-2018 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	जिला जबलपुर की पनागर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 26 ग्रामीण सड़कों का डामरीकरण किया जाना।	26 ग्रेवल मार्गों के डामरीकरण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है।		
155	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.305) दि. 08-03-2018 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	जिला जबलपुर के शहपुरा विकास खण्ड के ग्राम धनगंवा को सड़क मार्ग से जोड़ा जाना।	निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
156	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.1132) दि. 08-03-2018 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सचिवों को नवीन वेतनमान स्वीकृत किया जाना।	ग्राम पंचायत सचिवों को पृथक से नवीन वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही विचाराधीन है।		
157	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.67 (प्रश्न क्रं.1394) दि. 08-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला पंचायत सतना के सरपंच द्वारा गबन की गई राशि की वसूली की जाना।	(1) प्रकरण क्र. 172/अ89/2017-18 धारा 92 में वसूली हेतु पंजीबद्ध किया गया है। वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (2) निर्णय के अनुक्रम में संबंधित से वसूली एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।		
158	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.93 (प्रश्न क्रं.1718) दि. 08-03-2018 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1160, दिनांक 30.11.2017 के संदर्भ में जिला पंचायत द्वारा अनुबंधित वाहन क्रमांक MP60-T-3565 टैक्सी परमिट पेड बगैर किराये पर लगाये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	जी हाँ। जांच कराई जाकर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी।		
159	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.103 (प्रश्न क्रं.1904) दि. 08-03-2018 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में कार्यरत उपयंत्रियों को मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अमान्य डिग्रियों के आधार दी गई पदोन्नति की जांच कर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	(1) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में योग्य जांच कर यथोचित निर्णय लिया जाएगा। (2) जांच उपरांत यथासमय निर्णय लिया जावेगा।		
160	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.117 (प्रश्न क्रं.2028) दि. 08-03-2018 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	जिला पंचायत छतरपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियम विरूद्ध पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव म0प्र0 शासन को दिनांक 01.12.2017 को लिखे गये पत्र के विषयवस्तु की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	जी हाँ। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
161	अतारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.461) दि. 08-03-2018 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर वि.स. क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत ग्राम पंचायत भवन का सोईकलां विवादित स्थल का निराकरण कर शीघ्र ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जाना।	निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
162	अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.1860) दि. 08-03-2018 (श्री जतन उईके)	प्रदेश के पंचायत सचिवों के लिये अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान लागू किया जाना।	जी हाँ। अनुकंपा नियुक्ति प्रदाय किये जाने हेतु 04 प्रकरण प्राप्त हुये है, जिन पर कार्यवाही प्रचलन में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

वन विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
163	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.126 (प्रश्न क्रं.2134) दि. 08-03-2018 (श्री नीलेश अवस्थी)	प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाई कर्मी के रूप में विनियमितीकरण की कार्यवाही की जाना।	दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को स्थाई कर्मी के रूप में विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

दिनांक: 08-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
164	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.2163) दि. 08-03-2018 (श्री गोविन्द सिंह पटेल)	नरसिंहपुर जिले के राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अन्तर्गत परिवार की कमाऊ महिला सदस्य एवं विवाहित पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उनके निकटतम आश्रितों को आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाने के संबंध में जारी किये शासनादेश की कापी मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य को उपलब्ध कराया जाना।	20 हजार रूपये सहायता के निर्देश जारी कर दिये है और वह दिये भी जा रहे है। **माननीय अध्यक्ष महोदय :-** उसकी कॉपी दे देंगे उनकों वह कह रहे है।		